

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/टी-663/19/ दिनांक:-

संशोधन-आदेश

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक:ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/टी-663/2018/1364 दिनांक 08.10.18 द्वारा उपस्थिति प्रमाणिकरण के आधार पर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसमें क्रम सं. 15 पर अंकित कार्मिका श्रीमती भावना शर्मा, नर्स-2 के नाम में आंशिक संशोधन करते हुए कार्मिका का नाम भावना शर्मा के स्थान पर भावना वर्मा पढ़ा जावे। शेष यथावत।

—sd—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/टी-663/19/66

दिनांक:-17-01-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, /प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक/अजमेर / (लाडनू) नागौर।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।